



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 182-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 08 नवम्बर, 2021
(कार्तिक 16, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	1. महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 28) (केवल हिन्दी में)	237
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं।	
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग—I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 08 नवम्बर, 2021

संख्या लैज. 28/2021.— महर्षि बाल्मीकि संस्कृत युनिवर्सिटी, कैथल (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 28**महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) अधिनियम, 2021****महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल अधिनियम, 2018****को आगे संशोधित करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के शीर्ष में, "महर्षि बाल्मीकि" शब्दों के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 के हरियाणा अधिनियम 20 के शीर्ष का संशोधन।
3. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, "महर्षि बाल्मीकि" शब्दों के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 के हरियाणा अधिनियम 20 के संक्षिप्त नाम का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (झ) में, "महर्षि बाल्मीकि" शब्दों के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 2 का संशोधन।
5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "महर्षि बाल्मीकि" शब्दों के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 3 का संशोधन।
6. मूल अधिनियम की अनुसूची में, "महर्षि बाल्मीकि" शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 के हरियाणा अधिनियम 20 की अनुसूची का संशोधन।

बिमलेश तंवर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।